

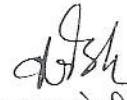
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4(ई)एस-513/94/अलेसे-III/11739-42 दिनांक:- 6.1.14.

कार्यालय आदेश

श्री सोहन लाल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ (जोधपुर) का दिनांक 07.12.2013 को स्वर्गवास हो जाने का कारण इन्हे दिनांक 07.12.2013 मध्याह्न पश्चात् से कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री सोहन लाल के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच सम्बन्धित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ 4(ई)एस-513/94/अलेसे-III/11739-42 दिनांक:- 6.1.14.

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ (जोधपुर) को उनके पत्र पत्रांक 530-31 दिनांक 20.12.2013 के क्रम में भेजकर लेख है कि स्व. श्री सोहन लाल की पत्नी अथवा अन्य आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति लेने हेतु इच्छुक हों तो आवेदन पत्र कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की पूर्ति करके भेजने का श्रम करावें।
2. डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट।
3. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक-II}